रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 1996/भाद्रपद 1, 1918
No. 477] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 1996/BHADRA 1, 1918

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1996

का. आ. 584(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 अगस्त, 1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय III के उपबंध मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 6(1)(12)/95-नलसा]

डा. वी. के. अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 1996

S.O. 584(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government hereby appoints the 21st August, 1996 as the date on which the provisions of the Chapter III of the said Act shall come into force in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. 6(1)(12)/95-NALSA]

DR. V.K. AGARWAL, Addl. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996